# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427098

क्रमांक /टीसी/94/दमोह/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक - /07/2022

प्रति,

1 कलेक्टर,
जिला दमोह (म.प्र.)।

2 संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, सागर (म.प्र.)।

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
जिला दमोह (म.प्र.)।

4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, दमोह
जिला दमोह (म.प्र.)।

**विषयः-** दमोह विकास योजना, 2031 में उपांतरण बाबत। (नजूलशीट क्रमांक 62, 67, 68 प्लाट क्रमांक 158/5 में से कुल रकबा 0.458941 हेक्टेयर - लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग)

**संदर्भः-** अपर सचिव, म.प्र. शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग, भोपाल का म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (1) (क) के अधीन आवेदन पत्र क्रमांक 231 दिनांक 27.04.202.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 भोपाल द्वारा दमोह विकास योजना, 2031 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

**संलग्नः-यथोपरि।**

**(मुकेश चन्द गुप्ता)**
**वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक**
**नगर तथा ग्राम निवेश**
**म.प्र. भोपाल**

पृ. क्रमांक 3069 /टीसी/94/दमोह/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक: 20/07/2022

प्रतिलिपिः-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।

2- संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

**वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक**
**नगर तथा ग्राम निवेश**
**म.प्र. भोपाल**

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

## सूचना

भोपाल, दिनांक 20/07/2022

क्रमांक 3006 /टीसी/94/दमोह/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट दमोह विकास योजना 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

**अनुसूची**

| क्रं | ग्राम | नजूलशीट क्रमांक | प्लाट क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) | | विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग | उपान्तरण पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल रकबा | उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा | | |
| 1. | दमोह | 62, 67, 68 | 158/5 | 2.874 (7.10 एकड़) | 0.458941 | आवासीय एवं मार्ग | मिश्रित एवं मार्ग |

नोट :-

1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख में पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर प्रस्तावित है। अतः मार्ग मध्य से 12.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है।
2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।

शर्त :-

1 उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियॉ मान्य होगी।

2 उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगें।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल